

संसदीय समितियाँ

मॉटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर 1921 से संसदीय समितियाँ अस्तित्व में आई थीं, जिन्हें नरितर व्यापक रूप से प्रतष्ठितापति किया जाता रहा है। भारतीय संवधान के अनुच्छेद-105 में भी इन समितियों का ज़िक्र मलिता है।

अपनी प्रकृति के आधार पर संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं-

1. स्थायी समिति: ये स्थायी एवं नयिमति समिति होती है, जिसका गठन संसद के अधिनयिम के उपबंधों अथवा लोकसभा के कार्य-संचालन नयिम के अनुसरण में किया जाता है। इनका कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। इसमें नमिनलखिति समितियाँ शामिल हैं-

- लोक लेखा समिति
- प्राक्कलन समिति
- सार्वजनिके उपक्रम समिति
- एस.सी. व एस.टी. समुदाय के कल्याण संबंधी समिति
- कार्यमंत्रणा समिति
- वशिषाधिकार समिति
- वभागीय समिति

2. अस्थायी या तदर्थ समिति: प्रयोजन वशिष के लयि तदर्थ समिति का निर्माण किया जाता है और कार्य पूरा होने के पश्चात् इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह भी दो प्रकार की होती हैं-

- **जाँच समितियाँ:** किसी तात्कालिक घटना की जाँच के लयि।
- **सलाहकार समितियाँ:** किसी वधियक इत्यादिपर वचिार करने के लयि।
- **वभागीय स्थायी समितियाँ:** ऐसी समितियों की कुल संख्या 24 है। प्रत्येक वभागीय समिति में अधिकितम 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 सदस्यों का मनोनयन स्पीकर द्वारा एवं 10 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जा सकता है।
- कुल 24 समितियों में से 16 लोकसभा के अंतर्गत व 8 समितियाँ राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती हैं।
- इन समितियों का मुख्य कार्य अनुदान संबंधी मांगों की जाँच करना एवं उन मांगों के संबंध में अपनी रपिर्ट सौपना होता है।